



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128909

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16624/2026

श्रीमती अलोप एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: हनुमान प्रसाद कुशवाहा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. आवेदकगण की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन थाना जखौरा, जनपद ललितपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0015/2026 तहत धारा 108 बीएनएस, 2023 में उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित घटना दिनांक 16.01.2026 को घटित हुई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.01.2026 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए तीन दिन के विलम्ब को अभियोजन द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनाकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से आवेदकगण के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन लगाए गए हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक आवेदक संख्या 1, जो एक विवाहित महिला है, के पीछे पड़ा हुआ था। वह आवेदक संख्या 1 के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था, और आवेदकगण अपना पैतृक गाँव छोड़ने हेतु बाध्य हुए तथा दूसरे गाँव में जाकर बस गए, जहाँ मृतक उनका पीछा करता रहा। आगे यह तर्क दिया गया है कि मृतक आवेदक संख्या 2 द्वारा पकड़ा गया तथा उसके द्वारा पीटा गया। तत्पश्चात्, मृतक ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि आत्महत्या करने से पूर्व, मृतक को आवेदकगण द्वारा उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया गया था। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण दिनांक 20.01.2026 से कारागार में निरुद्ध हैं तथा यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदकगण के विरुद्ध अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, अतः, वे जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार नहीं हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदकगण द्वारा कारावास की व्यतीत अवधि, तथा किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए, और मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, यह न्यायालय पाता है कि आवेदकगण के पक्ष में जमानत का मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदकगण- श्रीमती अलोप एवं रातिराम को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय के समाधान पर समान राशि के दो-दो प्रतिभुओं के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदकगण इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेंगे कि वे साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेंगे। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय धारा 229A भा.द.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान, आवेदकगण जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./धारा 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकता है और यदि आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174A भा.द.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदकगण (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकगण की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत के निरसन का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिमत बनाने में किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"